कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार
(गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार के भण्डार में भण्डारित स्क्रैप यथाः ई–सक्रैप, लोहा, प्लास्टिक, आदि को नीलामी के माध्यम से ''माल जैसा है जहाँ है'' के आधार पर दिनांकः 23 जून, 2026 को प्रातः 11:00 बजे केन्द्र पर खुली बोली के माध्यम से नीलामी की जायेगी। इस संदर्भ में अधिक जानकारी हेतु केन्द्र के कार्यालय में कार्यालय समय अथवा मोबाईल नं0 9719730978 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नीलामी के नियम एवम् शर्तेः

1. निष्प्रयोज्य सामग्रियों को ''माल जैसा है जहाँ'' के आधार पर केन्द्र पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से खुली बोली के माध्यम से विक्रय किया जायेगा।
2. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) की दर से सुरक्षा धनराशि नगद केन्द्र पर जमा करनी होगी।
3. उच्चतम् बोलीदाता को लगायी गयी बोली की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि क्वाललीफाइंग मनी के अतिरिक्त तुरन्त नगद जमा करना होगा।
4. क्रय की गयी सामग्री पर देय वस्तु एवं सेवा कर (GST) अथवा अन्य निर्धारित कर जो भी लागू हो का भुगतान भी क्रेता को नियमानुसार देना होगा।
5. बोलीदाताओं को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु अपना आधार कार्ड व पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
6. उच्चतम बोलीदाता एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को छोड़कर अन्य प्रतिभागियों द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि नीलामी समाप्ति के पश्चात्/अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी।
7. विक्रय हेतु प्रस्तावित निष्प्रयोज्य सामग्रियों का भौतिक अवलोकन/गुणवत्ता की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार से प्राप्त की जा सकती हैं।
8. निष्प्रयोज्य सामग्री की विक्री, ''माल जैसा है जहां है'' के आधार पर की जायेगी तथा बोली छूटने के बाद गुणवत्ता या अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. यदि उच्चतम् बोलीदाता निर्धारित समय के अंदर माल नहीं उठाता है तो अगले 10 कार्य दिवस तक क्रय सामग्री में मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भण्डार अधिभार जमा कराते हुए क्रय सामग्री को उठाने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है,

उसके उपरांत भी क्रेता द्वारा माल न उठाने की दशा में उसकी सुरक्षा राशि तथा सम्पूर्ण/50 प्रतिशत जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10. निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री हेतु गठित समिति को किसी भी बोली को, जो समिति की दृष्टि में किसी भी कारण अयोग्य पाये जाने पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. केन्द्र को, बिना कारण बताये विज्ञापित तथा विक्री की जाने वाली सामग्री को विक्रय करने न करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा विक्रय की जाने वाली सामग्रियों की मात्रा को घटाया एवं बढ़ाया भी जा सकता है।
12. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय के कुलपति जी एक मात्र मध्यस्थ होंगे, जिनका निर्णण दोनों पक्षों (क्रेता एवम् विक्रेता) को मान्य/स्वीकार करना होगा।
13. क्रेता जिसके नाम से बोली स्वीकृत होगी क्रय की गयी सामग्री को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही उठा/प्राप्त कर सकता है। सामग्री/लॉट का उचित आरक्षित/निर्धारित न्यूनतम मूल्य प्राप्त न होने पर समिति द्वारा आशिंक अथवा पूर्ण रूप से सम्बंधित सामग्री/लॉट की नीलामी को निरस्त किया जा सकता है।
14. माल ढुलाई, श्रम शक्ति एवं वाहन का प्रबंध स्वयं क्रेता को करना होगा। क्रेता द्वारा क्रय की सामग्री को उठाने, काटने, तोड़ने अथवा ले जाते समय यदि केन्द्र/विश्विद्यालय की किसी भी प्रतिभूति की क्षति होती है उसकी आर्थिक भरपाई क्रेता को करनी होगी।
15. उच्चतम् दो बोलीदाताओं को विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
16. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
17. सफल बोलीदाता को किसी भी सामग्री को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
18. इस नीलामी के सम्बंध में किसी भी विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय ऊधम सिंह नगर होगा।

पुरूषोत्तम कुमार
प्रभारी अधिकारी